कैरियर स्कूल के स्टाफ और बच्चों की नव वर्ष के उपलक्ष्य पर पुष्प वाटिका में पिकनिक मना कर किया नए साल का स्वागत....

रसूखदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से राजस्व विभाग का प्रपंच

कोतरा रोड की बेशकीमती भूमि को लेकर पुनः विवाद अपने चरम पर, 16 से अधिक प्रभावितों को न्यायिक अधिकार से वंचित किये जाने का मामला

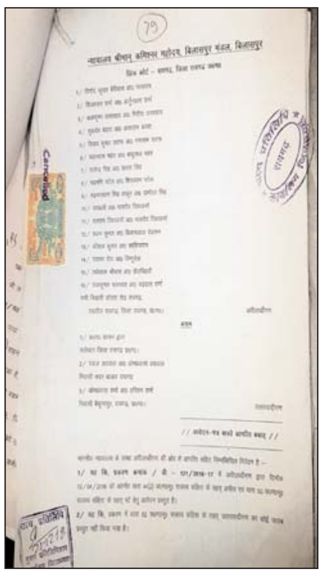

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला मुख्यालय रायगढ़ के कोतरा रोड में वर्षो से चल रहे भूमि विवाद का मामला पुनः प्रकाश में आया है। इस मामले का मुख्य कारण बताते हुए पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि वे सभी 16 लोग कोतरा रोड वार्ड क्रमांक एक के नजूल भूमि खसरा क्रमांक 26/209 में विगत 40 सालों से निवासरत है। उनके निवास और विधिवत् कब्जे को लेकर अनेक शासकीय दस्तावेजों में प्रमाण भी उपलब्ध है। परन्तु विगत वर्ष 2012-13 जब तत्कालीन कलेक्टर अमित कटारिया के नेतृत्व में मुख्यालय और जिले के विभिन्न सड़को को बेजा कब्जा मुक्त किया गया तब भी इन 16 से भी अधिक परिवारों की कोई बेदखली नही हुई। तो अब जबकि उनके सांथ उनकी भूमि के पीछे भूमि खसरा क्रमांक 127/2,141/1 स्थित है, उक्त भूखंड का मालिक पंकज अग्रवाल से उनका भूमि विवाद इस बात को लेकर चला आ रहा है कि उनके प्रमाणित कब्जे वाली भूमि के पीछे इस रसूखदार बिल्डर की भूमि है। जिसके व्यक्तिगत लाभ के लिए सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए विभाग के आर.आई. व अन्य अधिकारियों ने उनके कब्जे की भूमि का खसरा नंबर बदल कर उन्हें खसरा क्रमांक 26/210 कर दिया, यह वो भूमि है, जो कि सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित है और सड़कमद में जा चुकी है। ये बिल्डर सभी को इस सड़कमद की भूमि में काबिज बता कर उन्हें उक्त भूमि से बेजा बेदखल किये जाने की जुगत में लगाने में जुटा है। ताकि बिल्डर के स्वामित्व की भूमि का बाजार मूल्य बढ़ जाए। पीड़ितों ने बताया कि, वर्तमान में पंकज अग्रवाल की उक्त भूमि में पहुंच मार्ग नही है, अतः बिल्डर के लाभ के लिए राजस्व विभाग के लोग उन 16-18 पीड़ित कब्जेदारों को सड़क में लाने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि मामले को लेकर पीड़ित पक्ष न्यायलय कमिश्नर बिलासपुर मंडल में प्रकरण दाखिल कर रखा है। जिसमे कलेक्टर रायगढ़ के अलावा पंकज अग्रवाल और ओम प्रकाश शर्मा को पक्षकार बनाया गया है।

इधर कुछ समय बात अपने रसूख का लाभ लेते हुए बिल्डर ने विभागीय लोगों से सांठगांठ करते हुए पीड़ित पक्ष के विधिक कब्जे वाली भूमि खसरा क्रमांक 26/209 को रिकार्ड से ही गायब करवा दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष को 26/210 का कब्जाधारी बताते हुए कलेक्टर कोर्ट रायगढ़ से बेदखली का एक आदेश तक जारी करवा दिया। ताकि सभी 16 पीड़ित परिवारों को प्रभावित करने का काम किया जा सके। इसके पश्चात पीड़ित पक्ष के लोगों ने भी कलेक्टर रायगढ़ के उक्त आदेश के विरुद्ध कमिश्नर कोर्ट में अपील फ़ाइल की जिसमें कलेक्टर रायगढ़ के उक्त बेदखली आदेश के विरुद्ध स्टे की मांग की गई थी। कमिश्नर के लिंक कोर्ट में चल रहे प्रकरण क्रमांक बी - 121/2016-17 की विगत सुनवाई दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को निर्धारित की गई थी।

इस डेट में कलेक्टर रायगढ़ से रिकार्ड बुलवाया जाकर आगे की कार्यवाही जिसमें स्टे के आवेदन पर बहस आदि होनी थीं, परन्तु ऐसा नही किया जाकर पुनः आश्चर्यजनक ढंग से लिंक कोर्ट के बाबुओं ने सुनावई डेट के एक दिन पहले ही विधि-विरुद्ध ढंग से दिनांक 13 दिसम्बर 2018 को ही द्वितीय पक्षकार पंकज अग्रवाल का लिखित तर्क प्रस्तुत करवा दिया। जबकि बिना कलेक्टर रायगढ़ से रिकार्ड बुलवाए और अपीलकर्ता पक्ष की जानकारी के ऐसा किया जाना न्याय संगत नही था। इस बात की जानकारी लगते ही अपीलकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित आपत्ति दर्ज करवाई, यह जानना बेहद रोचक होगा कि माननीय न्यायालय का इसपर क्या कहना होगा।

बहरहाल इस मामले में सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह है कि विगत 40 साल से कोतरा रोड के भूमि खसरा क्रमांक 26/209 में निवास कर रहे पीड़ित 16 से भी अधिक खाता (पट्टा) धारी भूमिस्वामियों की बेशकीमती भूमि कब कहां कैसे राजस्व रिकार्ड से गायब कर दी गई और वे लोग कब 26/209 के कब्जाधारी भूमिस्वामी होने की जगह सड़क में समाहित की गई भूमि 26/210 के कथित कब्जेदार बन गए? मजे की बात पीड़ित पक्ष की समुचित सुनवाई के बगैर, न्यायोचित सीमांकन के बगैर ही उन्हें किस प्रकार उस भूमि से बेदखली का आदेश जारी कर दिया जिसका उनसे कोई सीधा सरोकार नही है। बताया गया कि, कुछ रिकार्ड जल गए है, जिसकी जानकारी के सर्टिफाईड दस्तावेज पीड़ित पक्ष के पास हुई है, बकौल पीड़ित पक्ष अब यह देखना लाजिमी होगा कि दिए और आंधी (16 सामान्य भूमि-स्वामी और एक रसूखदार बिल्डर) के बीच की यह कानूनी लडाई कितनी न्यायोचित तरीकों से लड़ी जाती है और कैसा निष्पक्ष न्यायसंगत निर्णय कमिश्नर कोर्ट से निकल कर सामने आता है?

प्रकरण में पीड़ित अपीलार्थी पक्ष

विनोद कुमार बेरीवाल आ. परसराम, शिवशंकर शर्मा आ. अर्जुनदत्त शर्मा, बालकृष्ण उपाध्याय आ. गिरीश उपाध्याय, सुकदेव कहरा आ. अवधराम कंवर, विजय कुमार सराफआ. गंगाराम सराफ चंदनदास महंत आ. बाबूलाल महंत, राजेन्द्र सिंह आ. छत्तर सिंह, चंद्रमणि पटेल आ. शिवचरण पटेल, रुद्रनारायण सिंह ठाकुर आ. दामोदर, सिंह, रामबली आ. मालदेव विश्वकर्मा, बलराम विश्वकर्मा आ. मालदेव विश्वकर्मा, श्याम सुन्दर आ. किशनलाल देवांगन, कौशल कुमार आ. सालिकराम, दशरथ देवा आ. विष्णुदेवा, राधेलाल श्रीवास आ. छैलबिहारी, राजकुमार सारस्वत आ. चंद्रदत्त शर्मा, सभी निवासी कोतरा रोड रायगढ़ तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़।

प्रकरण के विरोधी पक्ष

1. छ.ग. शासन द्वारा कलेक्टर जिला रायगढ़ छ.ग.।

2 .पंकज अग्रवाल आ. ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी सदर बाजार रायगढ़

3. ओमप्रकाश शर्मा आ. हरिराम शर्मा निवासी बैकुण्ठपुर, रायगढ़, छ.ग.।

वहीं पूरे विवाद को लेकर अपीलार्थी पीड़ित पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव का कहना है कि विवाद की शुरुवात पंकज अग्रवाल और ओम प्रकाश शर्मा के बीच अखाड़ा निर्माण के सापेक्ष में हुई जिसमें अखाड़े की भूमि को पंकज अग्रवाल ने अपना बताते हुए ओम प्रकाश के विरुद्ध प्रकरण दायर किया था। वर्तमान में, प्रकरण क्रमांक / बी - 121/2016-17 में अपीलार्थीगण द्वारा 12 अप्रैल 18 को अंतर्गत धारा 44 (2) छ.ग. भू. राजस्व संहिता के तहत् अपील एवं धारा 52 छ.ग. भू. राजस्व संहिता के तहत् स्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत है। प्रकरण में धारा 52 छ.ग.भू. राजस्व संहिता के तहत् उत्तरवादीगण का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तरवादी क्रमांक 01 के द्वारा 13 अप्रैल 18 को एक आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 148 (क) व्य.प्र.सं. सहपठित धारा 43 छ.ग. भू.रा.सं. प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अपीलार्थीगण के द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में उत्तरवादी क्रमांक 01 के द्वारा प्रकरण पर लिखित-तर्क प्रस्तुत किया गया है, जो कि प्रक्रिया का पालन एवं अनुपालन नहीं होने को दर्शा रहा है, साथ ही यह न्यायोचित नही है, अतः इस पर अपीलार्थीगण की ओर से आपत्ति है। इस प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के विपरीत जाकर 13 दिसम्बर 18 को उत्तरवादी क्रमांक 01 के द्वारा लिखित-तर्क प्रस्तुत कर दिया गया, जबकि प्रकरण की पेशी 14 दिसम्बर 2018 थीं, जिसकी ताकीद आर्डर-शीट से की जा सकती है। बताया गया कि अभी इस सम्बंध में कार्यवाही लंबित है।

नव पदस्थ कलेक्टर यशवंत कुमार ने ली पत्रकार वार्ता

रायगढ़। पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को नव पदस्थ कलेक्टर यशवंत कुमार ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी बात रखी और पत्रकारों से भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जिले में कई जगहों पर सड़कें बन रही हैं जो अधूरी हैं या निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है ऐसी सड़कों को समय पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। बुनियादी सुविधाओं के साथ शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण व शहरी इलाकों में लोगों को सुविधा मिलेगी।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि किसानों की जो भी समस्या है उसे प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाएगा। आम जनता की समस्याओं को दूर किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के कारण रूके हुए विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी, रूके हुए सभी कामों को शुरू करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में खेल सुविधा का विस्तार किया जाएगा वहीं स्टेडियम की रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने धान खरीद को लेकर कहा कि सभी समितियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, किसानों के सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जो भी टोकन मिला है उसी दिन उसका धान खरीदा जा रहा है साथ ही दूसरे राज्यों से कोचिये द्वारा यहां धान ना खपाया जाए इसके लिए प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480